

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 829 / 240 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 6.8.09

// आदेश //

विषय:- अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ-7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार अर्थशास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन किया जाता है:-

विषय - अर्थशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
✓ 1.	1310039	श्री अनिल कुमार तिवारी	अर्थशास्त्र	शा. विवेकानंद महा., मैहर	21.10.04
✓ 2.	1310048	डॉ. अंजना चतुर्वेदी	अर्थशास्त्र	शा. कन्या पीजी महा., सागर	27.07.03
✓ 3.	1310051	डॉ. अंजना सिंह	अर्थशास्त्र	शा. महा., त्योथर	21.10.04
✓ 4.	1310064	डॉ. अर्चना व्यास	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., महु	01.04.06
✓ 5.	1310123	श्री छोटेलाल प्रजापति	अर्थशास्त्र	शा. महाराजा महा., छतरपुर	01.04.08
✓ 6.	1310142	डॉ. धीरेन्द्र कुमार बघेल	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., नरसिंहपुर	28.02.08
✓ 7.	1310153	डॉ. जी.आर. गांगले	अर्थशास्त्र	शा. कालीदास कन्या महा., उज्जैन	21.11.07
✓ 8.	1310163	डॉ. गिरिजेन्द्र सिंह चौहान	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., खरगौन	24.12.07
✓ 9.	1310182	श्री आई.एस. पंवार	अर्थशास्त्र	शा. महा., सनादव	01.04.06
✓ 10.	1310286	श्री मनोज कुमार सिन्हा	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., गाडरवारा	12.07.05
✓ 11.	1310321	डॉ. नीलिमा जैन	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., छिन्दवाड़ा	24.12.07
✓ 12.	1310397	डॉ. रामनारायण तिवारी	अर्थशास्त्र	शा. संस्कृत महा., रीवा	24.12.07
✓ 13.	1310421	डॉ. राजरानी खुराना	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., शुजालपुर	24.12.07
✓ 14.	1310317	श्री नाथूराम माहोर	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., डबरा	23.11.07

Admin

✓ 15.	1310348	डॉ. पी.आर. मानकर	अर्थशास्त्र	शा. महा., टिमरनी	21.11.07
✓ 16.	1310486	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	अर्थशास्त्र	शा. महा., दतिया	03.04.06
✓ 17.	1310620	डॉ. वीरेश पाण्डेय	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., सतना	24.12.07
✓ 18.	1310640	एस. कामिनी पाराशर	अर्थशास्त्र	शा. एसएलपी पीजी महा., मुरार	29.01.08
✓ 19.	1310651	श्रीमती सुमन्त पुरवार	अर्थशास्त्र	शा. कन्या महा., कटनी	04.07.05
✓ 20.	1310543	डॉ. सुधीर शर्मा	अर्थशास्त्र	शा. एमएलबी महा., ग्वालियर	24.12.07
✓ 21.	1310662	श्रीमती अनुपमा रावत	अर्थशास्त्र	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	29.07.04
✓ 22.	1310624	डॉ. जरीना लोहावाला	अर्थशास्त्र	शा. के.पी. महा., देवास	17.4.2005
✓ 23.	1310497	डॉ. सविता गुप्ता	अर्थशास्त्र	शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	07.04.06
✓ 24.	1310342	श्री पी.एल. वर्मा	अर्थशास्त्र	शा. महा., रेहली	01.04.05
✓ 25.	1310167	श्री हंसराज केरोलिया	अर्थशास्त्र	शा. महा., जोबट	01.04.07
✓ 26.	1310561	श्रीमती सुनीता पाठक	अर्थशास्त्र	शा. भेरूलाल पाटीदार महा. महु	17.04.04
✓ 27.	1310566	डॉ. सुरेश कुमार	अर्थशास्त्र	शा. एसएसपी पीजी महा., मुरा	24.12.07

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।
- 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Arish
6.8.2013
(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 833 /240/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6.8.09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashish

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 834 / 240 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 6-8-09

/// आदेश ///

विषय:- अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार अर्थशास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रुपये 3000-100-3500- 125-5000/10000-325-15200 में स्थानन किया जाता है :-

विषय - अर्थशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक/रिमांक
1.	1310109	श्री ब्रजराज सिंह	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., मुरैना	01.04.07
2.	1310163	डॉ. गिरिजेन्द्र सिंह चौहान	अर्थशास्त्र	शा. पीजी महा., खरगौन	24.12.02
3.	1310260	डॉ. मदनलाल गांगले	अर्थशास्त्र	शा. कन्या महा., रतलाम	1.04.2002
4.	1310484	श्री संजय कुमार झा	अर्थशास्त्र	शा. एसएसपी महा., वारासिवनी	आदेश क्रमांक 103 / 1908/आउशि/गोप्र/ /07 दिनांक 25.02.08 जिसके द्वारा दिनांक 01.04.07 से प्रवर श्रेणी वेतनमान दिया गया था को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है उसके स्थान पर दिनांक 01. 04.2007 से वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान दिया जाता है।
5.	1310486	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	अर्थशास्त्र	शा. महा., दतिया	03.04.01
6.	1310394	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	अर्थशास्त्र	शा. महा., बरही, कटनी	24.12.03
7.	1310624	डॉ. जरीना लोहावाला	अर्थशास्त्र	शा. के.पी. महा., देवास	17.4.2000

Ashu


//2//

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें ।

नोट:-

1. जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी ।
2. यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें ।
3. यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।



(आशीष उपाध्याय)


आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 835 /240/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 6-8-09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।



आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 836/240/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 6.8.09

//आदेश//

विषय:- अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ-7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार अर्थशास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रुपये 3000-5000/ 10000-15200 में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - अर्थशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	1310497	डॉ. सविता गुप्ता, अर्थशास्त्र, शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	16.09.01	07.04.01
2.	1310549	डॉ. सुमन कटारिया, अर्थशास्त्र, शा. कन्या महा., विदिशा	01.06.99	04.03.95

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

Asst. Secy
6.8.2009

// 2 //

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashwin M
6.8.2019

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 837 /240/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

6.8.09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashwin
6.8.2019

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 838 / 240 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 6.8.09

// आदेश //

विषय:- अर्थशास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.9, क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

शासन के आदेशानुसार अर्थशास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - अर्थशास्त्र

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
✓ 1.	1310047	श्रीमती अंजली श्रीवास्तव, अर्थशास्त्र, शा. महाराजा महा., छतरपुर	12.09.06	27.07.03
✓ 2.	1310005	श्री ए.के. जैन, अर्थशास्त्र, शा. महा., रेहली	11-2-07	4-03-2000
✓ 3.	1310137	श्रीमती दीपशिखा विज, अर्थशास्त्र, (प्रतिनियुक्ति पर) शा. महा., दुर्ग	24.12.05	27.07.03
✓ 4.	1310406	श्री राधवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, अर्थशास्त्र, शा. महा., बैदन	07.09.01	01.04.01
✓ 5.	1310481	श्रीमती संघमित्रा खातरकर, अर्थशास्त्र, शा. पीजी महा., खण्डवा	13.12.05	14.10.04
✓ 6.	1310580	श्रीमती उज्ज्वला बाबर, अर्थशास्त्र, शा. कन्या महा., देवास	24-2-06	20.06.04

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1-जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

(Signature)
6.8.2009

//2//

- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजे ।
- 3-यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।
- उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashtin
G. B. 2003

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक
6.8.09

पृ.क. 839 /240/आउशि/गो.प्र./09,

प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashtin
G. B. 2003

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश